



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

1202

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० / 48

दिनांक- 16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मोतिहारी
जिला- पूर्वी चम्पारण

महशय,

नगर परिषद, मोतिहारी के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 1170/15-16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- 40 -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र 1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना


सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14556 / 48

दिनांक- 16.5.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र 1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना



678/3816
24-5-16

S.S.

50-7
25-5-16
S.S.

211
26/5/16

नगर परिषद, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.- 1170/15-16

भाग - I

प्रस्तावना

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | निरीक्षित कार्यालय का नाम | नगर परिषद, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण |
| 2. | लेखा वर्ष | 2013-14 से 2014-15 |
| 3. | अंकेक्षण अवधि | 22.06.2015 से 04.07.2015 |
| 4. | लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र- | परिशिष्ट-I और II पर संलग्न |
| 5. | लेखा परीक्षा दल के सदस्य | 1. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री नागेन्द्र कुमार यादव, लेखा परीक्षक |
| 6. | निरीक्षण पदाधिकारी का नाम | श्री राकेश खन्ना, व0ले0प0अ0 |
| 7. | कार्यालय प्रधान का नाम | श्री विजयन्त |
| 8. | क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार-विमर्श हुआ | हाँ, दिनांक 03.07.2015 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई। मूल प्रति वापस नहीं लौटाई गई। |
| 9. | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख | परिशिष्ट- I |
| 10. | लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख | परिशिष्ट- II |
| 11. | लेखा परीक्षा परिष्ठाप्त | परिशिष्ट- VI |

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

12. प्रशासन

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | पद का नाम | अवधि | |
|---------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्री राजेन्द्र मण्डल | कार्यपालक पदाधिकारी | 01.04.2013 | 22.05.2013 |
| 2 | श्री अनिल कुमार पाण्डेय | कार्यपालक पदाधिकारी | 22.05.2013 | 19.08.2013 |
| 3 | श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह | कार्यपालक पदाधिकारी | 19.08.2013 | 25.07.2014 |
| 4. | श्री अनिल कुमार | कार्यपालक पदाधिकारी | 25.07.2014 | 31.03.2015 |

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | पद का नाम | अवधि | |
|---------|---------------------|--------------|------------|------------|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्री प्रकाश अस्थाना | मुख्य पार्षद | 01.04.2013 | 31.03.2015 |

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | पद का नाम | अवधि | |
|---------|------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्री मोहिबुल हक | उप मुख्य पार्षद | 01.04.2013 | 31.03.2015 |

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार नगर परिषद द्वारा संधारित रोकड़बही में दर्ज इन्द्राजों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि में आय- व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी-

● सामान्य खाता रोकड़बही

| | 2013-14 | 2014-15 |
|----------------|--------------|--------------|
| प्रारम्भिक शेष | 124598495.87 | 194407092.87 |
| आय | 275579902.00 | 149752821.37 |
| कुल | 400178397.87 | 344159914.24 |
| व्यय | 205771305.00 | 170824869.37 |
| अंतशेष | 194407092.87 | 173335044.87 |

समस्त बैंक के पासबुक के प्रस्तुतीकरण नहीं किए जाने के कारण बैंक में बकाया अंतिम शेष ज्ञात नहीं की जा सकी। नगर परिषद से अनुरोध है कि बैंक का अंतिम राशि दर्शाते हुए एवं रोकड़ बही व पासबुक के अंतर का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

● पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पि० क्षे० अ० नि० सहायक रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 के सं० संव्यवहार निम्न प्रकार थे -

| क्र.सं. | विवरण | 2013-14(रु. में) | 2014-15(रु. में) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. | प्रारंभिक शेष | 9,42,608 | 79,12,593 |
| 2. | प्राप्ति (क) अनुदान (ख) व्याज (ग) अन्य | 87,40,228 1,45,162 — | 56,63,109 2,03,214 — |
| | | कुल 98,27,998 | 1,37,78,916 |
| 3. | व्यय | 19,15,405 | 63,17,140 |
| 4. | अन्तशेष | 79,12,593 | 74,61,776 |
| 5. | अन्तशेष जो रोकड़बही में दर्ज पाया गया | 79,12,543 | 74,61,726 |
| 6. | पासबुक के अनुसार अंतशेष | | 75,31,708 |

उपर्युक्त संव्यवहार की बिन्दु 4 एवं 5 में दर्ज अंतशेषों के तथ्यों की जाँच कर वास्तविक स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु की गई टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि रु 50 का अंतर दिनांक 07.12.2013 को काटे गए चेक की राशि का योग गलती से ज्यादा लिखे जाने के कारण रु 50.00 का ज्यादा भुगतान हो गया जिसे अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में विविध रसीद सं० 3797 दिनांक 04.07.2015 को संवेदक से जमा करा लिया गया। विविध रसीद की छायाप्रति को संलग्न किया गया लेकिन बैंक में जमा व पासबुक में इंद्राज को नहीं दिखाया गया। अतः अगले अंकेक्षण में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए।

15. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे— संपत्ति पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के कुछ मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख-रेख तथा निकाय निधि में शीघ्र जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम .

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि— 23484.00
2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु मुझाई गयी राशि— 1869901.00
3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि— 7325486.00

1198

भाग- II खण्ड- क

शून्य

भाग- II खण्ड- ख

कडिका सं0 01. धृति कर

क. वसूलकर्ता द्वारा कम/नहीं जमा राशि रु. 10,542/-

विविध रसीद, एच रसीद व दैनिक विवरणी पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि राशि रोकड़पाल को वसूलकर्ताओं द्वारा कम जमा की गई जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

| क्र. सं. | रसीद की कोटि | वसूलीकर्ता का नाम सर्वश्री | रसीद सं. व दिनांक | वसूली गई राशि | जमा की गई राशि | अंतर (रु.) |
|----------|--------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | विविध | प्रफुल्ल चंद्र, सहायक | 8898 / 22.8.14 | 10,87,250 | 10,84,550 | 2700 (कम जमा) |
| 2. | विविध | -वही - | 779 / 10.11.14 | 3,26,800 | 3,22,800 | 4000 (कम जमा) |
| 3. | विविध | -वही - | 1572 / 03.03.15 | 76150 | 76,050 | 100 (कम जमा) |
| 4. | विविध | -वही - | 2050 / 31.3.15 | 33,480 | 32,000 | 1480 (कम जमा) |
| 5. | विविध | -वही - | 6726 / 13.8.13 | 1,25,500 | 1,23,500 | 2000 (कम जमा) |
| 6. | विविध | -वही - | 1174 / 22.12.14 | 68,580 | 69,980 | 1400 (अधिक जमा) |
| 7. | विविध | -वही - | 1525 / 5.2.15 | 1,05,400 | 1,05,800 | 400 (अधिक जमा) |
| 8. | विविध | -वही - | 1594 / 14.3.15 | 38,300 | 40,600 | 2300 (अधिक जमा) |
| 9. | विविध | -वही - | 4895 / 22.7.13 | 2,69,000 | 2,70,000 | 1000 (अधिक जमा) |
| 10. | विविध | -वही - | 8407 / 17.2.14 | 58,100 | 59,100 | 1000 (अधिक जमा) |
| | | | | | | (10280 - 6100) कम जमा अधिक जमा अंतर 4180 |
| 11. | एच रसीद | राकेश कु. सिंहा कर संग्रहक | 22309 / 31.3.15 | 1560 | 560 | 1000 कम जमा |
| 12. | एच रसीद | रवि रंजन क. सं. | 9778 / 18.6.14 9780 / 20.6.14 2382 / 24.2.14 4947 / 21.2.14 | 5779 2873 1197 145 | 5729 2573 497 126 कुल | 50 कम जमा 300 कम जमा 700 कम जमा 19 कम जमा 1069 (कम जमा) |
| 13. | एच रसीद | अशोक कु. गुप्ता प्रभारी क. सं. | 10101 से 10149 | 76715 | 76315 | 400 कम जमा |
| 14. | विविध रसीद | विनय कुमार क. सं. | 9213 / 26.5.14 939 / 18.11.14 1433 / 7.1.15 | 3035 972 303 | - - 417 | 3035 जमा नहीं 972 जमा नहीं 114 (अधिक जमा) 3893 कम जमा |
| | | | | | कुल | 10542 |

उपरोक्त विवरणी में दिखाए गए वसूलीकर्ताओं के द्वारा कुल कम/नहीं जमा राशि रु. 10542 (4180+ 1000+ 1069+ 400+ 3893) की राशि विभिन्न विविध रसिदों के माध्यम से नाजीर को अंकेक्षण अवधि में जमा कर दी गई।

ख. वसूलीकर्ता द्वारा कम/नहीं जमा राशि रु. 12892/-

विविध रसीद एच रसीद व दैनिक विवरणी पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि राशि रु. 12892.00 नगर परिषद निधि में वसूलकर्ताओं द्वारा जमा नहीं की गई थी।

उक्त राशि को विभिन्न विविध रसिदों के माध्यम से नाजीर को अंकक्षण अवधि में जमा कर दी गई।

उप कण्डिका क एवं ख की राशि की विविध रसीद साक्ष्य स्वरूप संलग्न की गई। लेकिन नगर परिषद निधि में जमा व पासबुक में इन्द्राज नहीं दिखाया गया। नगर परिषद निधि में जमा होने का साक्ष्य अगले अंकक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं० 02. पंजीकृत/अपंजीकृत संचार मिनार पर बकाया राशि ₹ 50.02 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक- 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क ₹ 40000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹ 10000.00 प्रति टावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। नियम 6(4) साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपालिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। नियम 5 कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर खड़ा कर चुका है या खड़ा करना चाहता है, दस्तावेजों के साथ विहित अपेक्षित फीस के साथ नगर पालिका को आवेदन करेगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह ₹ 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए संचार मिनार बकाया विस्तृत विवरणी के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद के क्षेत्रान्तर्गत कुल 82 (बिरासी) संचार मीनार स्थापित थे। जिन पर वित्तीय वर्ष 2012-13 तक कुल बकाया राशि ₹ 50,25,00.00 थी। राशि की गणना में 2012-13 के बाद स्थापित संचार मीनार एवं पूर्व से स्थापित संचार मीनारों पर लगाए गए अतिरिक्त एंटीना, पंजीकरण शुल्क व नवीकरण शुल्क पर ब्याज की गणना एवं नियमों का अनुपालन न करने पर लगाए जाने वाले शास्ति के बगैर थे।

संचार मीनार संचालकों से राशि ₹ 50,25,00.00 की वसूली शीघ्र की जाए।

1196

कंडिका सं० 03. सैरातों की बन्दोबस्ती में सुरक्षित जमा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

नगर परिषद के विभिन्न सैरातों से सम्बन्धित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि, जिससे कम पर न तो बोली लगायी जा सकती और न ही बन्दोबस्ती की जा सकती जब तक कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक न हो और इसके लिए उच्चतर स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो, के निर्धारण हेतु सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 14/रा०-7-0-111/97-612/रा० दिनांक 18.09.97के निर्देश की सुरक्षित जमा तीन वर्षों पर निर्धारित की जायेगी जिसमें विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि/बन्दोबस्ती राशि, जो भी अधिक हो, उसमें 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी जायेगी, के विपरित प्रतिवर्ष विगत वर्ष की बन्दोबस्ती राशि के बराबर अथवा स्वच्छंद रूप से वृद्धि कर निर्धारित की गयी। जिसके फलस्वरूप अत्यधिक बड़ी सुरक्षित जमा के मद्देनजर कई सैरातों की बोली में किसी भी व्यक्ति ने कोई रुचि नहीं दिखायी तथा बोली हेतु निर्धारित तीन तिथियों के बावजूद उनकी बन्दोबस्ती नहीं हो सकी जिसके पश्चात् विवशता में उनकी विभागीय वसूली करायी गयी जिससे सुरक्षित जमा के मुकाबले अत्यल्प आय की प्राप्ति हुई। यदि इन सैरातों की सुरक्षित जमा का निर्धारण उपर्युक्त पत्र के निर्देश के आलोक में किया गया होता तो संभव है सैरातों की बन्दोबस्ती हो जाती और नगर परिषद नुकसान से बच जाता।

लेखा परीक्षा वर्षों में जिन सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं हुई अथवा आंशिक वर्ष के लिये हुई, से हुए नुकसान की गणना निम्न प्रकार है :-

| क्र. सं. | सैरात का नाम | विगत वर्ष का सुरक्षित जमा | विगत वर्ष बन्दोबस्ती | वर्ष के लिए सुरक्षित जमा निर्धारित | आंशिक बन्दोबस्ती/ विभागीय वसूली से प्राप्ति | संभावित हानि अंतिम बन्दोबस्ती - वसूली |
|----------|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2013-14 | | | | | | |
| 1. | साईकिल, रिक्शा, टॉगा, टेला | उपलब्ध नहीं | नहीं हुई | 92,000 | शून्य | 80,000 |
| 2. | बकरी, खरसी किलखाना | " | " | 58,650 | शून्य | 18,400 |
| 3. | मवेशी ढाढ | " | " | 33,500 | शून्य | 33,500 |
| 2014-15 | | | | | | |
| 1. | साई., रिक्शा, टॉगा, टेला | 92,000 | नहीं हुई | 92,000 | शून्य | 80,000 |
| 2. | बकरी, खरसी, किलखाना | 58,650 | " | 58,650 | | 18,400 |
| 3. | मवेशी, ढाढ | 33,500 | " | 33,500 | | 33,500 |
| 4. | बेगमपुर कृषि भूमि | 1,725 | 2,050 | 2,050 | | 1,725 |
| 5. | बलुआ बाजार | 4,04,024 | 4,07,000 | 4,07,000 | 88,600 | 3,15,424 |
| 6. | मालवाहक गाड़ी पार्किंग शुल्क | 24,63,875 | 24,67,100 | 24,67,100 | 14,82,000 | 9,81,875 (9 माह हेतु) |
| | | | | | कुल | 1562824.00 |

उपर्युक्त सभी मामलों में वर्ष 2011-12 में हुई बन्दोबस्ती राशि में 15 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2012-13 के लिये सुरक्षित जमा निर्धारणोपरान्त उससे हुई कम प्राप्ति के आधार पर स्तंभ 7 में हानि की गणना की गई है।

वर्ष 2011-12 की बन्दोबस्ती राशि निम्न प्रकार थी -

| क्र. सं. | सैरात का नाम | राशि (₹) |
|----------|----------------------------|--------------|
| 1. | साईकिल, रिक्शा, टॉगा, ठेला | 65,565 . |
| 2. | बकरी, खस्सी, किलखाना | 16,000 . |
| 3. | मवेशी, ढाठ | - |
| 4. | बेगमपुर कृषि भूमि | - |
| 5. | बलुआ बाजार | - |
| 6. | मालवाहक गाड़ी पार्किंग | 21,42,500.00 |

सुरक्षित जमा के अधिक निर्धारण के फलस्वरूप लेखा परीक्षा द्वारा बताई गई हानि के विरुद्ध वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कोई वृद्धि किए बिना सुरक्षित जमा का निर्धारण किए जाने का जवाब दिया गया। परन्तु तथ्य इसके विपरित था जो उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है।

अतः अनुरोध है कि सुरक्षित जमा का निर्धारण सरकारी निर्देशानुसार किया जाय जिससे आगामी हानि से बचा जा सके एवं दोनों वर्षों में हुई हानि राशि ₹ 1562824.00 को इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूली की जाए।

कंडिका सं० 04. योजनाओं के विलम्बित कार्यान्वयन पर संवेदक विपत्र से शास्ति की त्रुटिपूर्ण कटौती व अनियमित विमुक्ति

नगर निकायों में संवेदकों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संविदा की शर्त 2 के अनुसार कार्यपूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किये जाने पर कार्य की वह प्रमात्रा जो समय पर पूरी न की गयी हो उस पर प्रतिदिन 1/2 प्रतिशत जो प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक न हो शास्ति का संवेदक दायी होगा। साथ ही शर्त 5 के अनुसार समुचित आधार का उल्लेख करते हुए कार्य में उत्पन्न अटल बाधा के लिये संवेदक समय विस्तार का कार्यपालक अभियन्ता/अधि० को लिखित अभ्यावेदन वाधा के 40 दिनों के अन्दर कार्यपालक अभियन्ता की संतुष्टि पर उनके द्वारा जरूरी समय विस्तार किया जा सकता है।

नगर परिषद, मोतिहारी की चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद की योजना संचिकाओं व अन्य अभिलेखों की जाँच के क्रम में योजनाओं में विलम्बित पूर्णता हेतु शर्त 2 से शास्ति की कम कटौती की गयी। विस्तृत विवरणी III संलग्न।

संलग्न विवरणी से स्पष्ट है कि ₹ 2,25,418 के विरुद्ध ₹ 1,44,775 की वसूली की गयी को भी विमुक्त कर संविदा की शर्तों का अनुसरण नहीं किया गया फलस्वरूप संवेदकों को रु. 2,25,418 का अनुचित लाभ हुआ। उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में नगर परिषद मोतिहारी कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि इस कार्यालय के द्वारा योजना सं० 2/2013-14, 14/2013-14, 15/2013-14 एवं 1/2014-15 के कार्य विलम्ब से होने पर संवेदक के विपत्रों की राशि में से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि को ही कटौति पी०डब्लू०डी० कोड में दिये गये निर्देश के आलोक में करने का प्रावधान किया गया था। जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा कार्य विलम्ब से करने पर उनके विपत्रों से 10 प्रतिशत राशि का ही कटौति किया गया है तथा पी०डब्लू०डी० कोड में भी संवेदक के विपत्रों से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का ही कटौति करने का प्रावधान किया गया है। जहाँ तक संवेदकों के विपत्रों से 10 प्रतिशत राशि की कटौति की गयी है उन संवेदकों के द्वारा सक्षम अभियन्ताओं से कार्य समाप्ति के उपरान्त समयावधि की कटौति की गयी राशि को विमुक्त करने हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में राशि को विमुक्त किया गया है। अतएव लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाय।

194

जवाब नियमानुकूल नहीं है क्योंकि विलम्ब शुल्क कटौति को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा संवेदक द्वारा किस सक्षम अभियंताओं से राशि विमुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है का पत्र संचिका में जवाब के साथ संलग्न नहीं था। अतः शिघ्र राशि ₹ 3070776 (225418+ 81659) की वसूली संवेदकों या इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाए।

कंडिका सं० 05. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना में त्रुटियां

नगर परिषद की पि० क्षे० अ० नि० योजना की योजनाओं की संचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 34 (चौतीस) योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विस्तृत विवरणी IV संलग्न।

जिनमें से दो योजनाएँ:-

- (1) योजना सं० 4/13-14 प्रा. राशि रु. 2,44,800/- एकरारनामा की तिथि 21.02.2014 एवं
- (2) योजना सं० 19/13-14, प्रा० राशि रु. 1,80,100/- एकरारनामा की तिथि 22.02.2014 अब तक अपूर्ण है। एवं अन्य पूर्ण हो चुकी 32 (बत्तीस) योजनाओं में से किसी में भी प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच गुण नियंत्रण प्रमण्डल पथ निर्माण विभाग मोतिहारी से कराकर संचिका में संलग्न नहीं की गई थी।

जबकि संवेदकों को निर्गत किये जा रहे कार्यादेश की शर्त सं० 6 में यह साफ इंगित किया गया था कि योजना के प्रगति के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच गुण नियंत्रण प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी से कराकर कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने के लिए की गई कार्रवाही के संबंध में कहा गया कि एक माह के अंदर योजनाओं को पूर्ण करने हेतु संवेदकों को पत्र निर्गत की जा रही है अन्यथा संवेदकों के अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जाएगी।

बिना गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र की प्राप्ति के भुगतान विषयक लेखा परीक्षा टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु गुण नियंत्रण विभाग को पत्र निर्गत किया जा रहा है तथा उसकी प्राप्ति पर महालेखाकार कार्यालय को उसकी छायाप्रति समर्पित कर दी जाएगी, से यह प्रमाणित होता है कि बिना इस तरह की प्रमाण पत्र की प्राप्ति के ही भुगतान किया गया था। कार्यादेश की शर्त सं० 6 के अनुसार योजना के प्रगति के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच गुण नियंत्रण प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी से कराकर कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य था जबकि कार्य की पूर्णता हो जाने के पश्चात यह संभव नहीं है। अतः जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः 32 पूर्ण योजनाओं के गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र की उपलब्धता तक व्यय की गई सम्पूर्ण राशि ₹ 7325488.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधिन रखा जाता है।

कंडिका सं० 06. असमायोजित अग्रिम राशि ₹ 620000.00

नगर परिषद, मोतिहारी के द्वारा प्रस्तुत असमायोजित अग्रिम विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि 31 कर्मचारियों पर अंकेक्षण अवधि तक कुल राशि ₹ 620000.00 असमायोजित अग्रिम के रूप में बकाया थी। विस्तृत विवरणी V संलग्न।

अग्रिम का शीघ्र समायोजन/वसूली सुनिश्चित किया जाय।

कंडिका सं0 07. बकाया धृति कर ₹ 44663909.00

नगर परिषद मोतिहारी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी धृति कर बकाया विवरणी मार्च 2015 के अनुसार 31 मार्च 2015 तक नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत धृतियों के धारकों पर कुल बकाया राशि ₹ 44663909.00 धृति कर के रूप में बकाया थी। बकाया धृति कर की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

TEST AUDIT NOTE (TAN)

कंडिका सं0 01. होल्डिंग रसीदों का अप्रस्तुतीकरण

नगर परिषद, मोतिहारी के वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 के अंकेक्षण के दौरान होल्डिंग रसीदों के जाँच हेतु निम्नलिखित रसीदों को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

| क्र. सं | रसीद सं. | निर्गत की तिथि | कर संग्रहकर्ता का नाम |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | विविधकर 5301-5400 | 18.04.2013 | अरविंद कुमार सिंह |
| 2. | 5401-5500 | 10.04.2013 | अरविंद कुमार सिंह |
| 3. | 6201-6300 | 13.05.2013 | अवधेश कुमार पाण्डे |
| 4. | 6601-6700 | 18.07.2013 | अरुण कुमार मिश्रा |
| 5. | धृतिकर 21301-21400 | 21.02.2015 | अरुण कुमार मिश्रा |

इसके अलावे अग्रलिखित रसीद जो कि पिछले अंकेक्षण दल को नहीं दिखाया गया था को इस अंकेक्षण में भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

| क्र.सं. | रसीद सं. | निर्गत तिथि | कर संग्रह कर्ता का नाम |
|---------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1. | धृति कर 9501-9600 | 23.06.2012 | नवल किशोर प्रसाद |
| 2. | 11301-11400 | 14.08.2012 | -तथैव- |
| 3. | 13801-13900 | 05.02.2013 | -तथैव- |
| 4. | 15401-15500 | 23.03.2013 | -तथैव- |

अंकेक्षण दल के द्वारा उपरोक्त रसीदों के प्रस्तुतिकरण हेतु कहे जाने पर जवाब दिया गया कि रसीद सं0 9501-9600, 11301-11400, 13801-13900 एवं 15401-15500 चोरी हो गयी थी जिसकी प्राथमिकी की छायाप्रति एवं पेपर कटिंग की छायाप्रति पूर्व के ही अंकेक्षण दल को समर्पित की जा चुकी है। शेष विविध रसीद सं0 5301-5400, 5401-5500, 6201-6300, 6601-6700 एवं धृति कर की रसीद सं0 21301-21400 को अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

चोरी हो गयी रसीद के लिए की गयी प्राथमिकी की छायाप्रति इस अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जवाब के साथ संलग्न किया गया था अतः उक्त रसीदों के प्रस्तुतिकरण पर पिछले अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्रवाही की जाए। इस बार प्रस्तुत नहीं किये गये रसीदों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

—हस्ता0—

(बलराम मिश्रा)

स0ले0प0अ0

अनुमोदित

उपमहालेखाकार ---सह---

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना

1192
24

परिशिष्ट-1

नगर परिषद मोतिहारी

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की सुची

(प्रतिवेदन की कंडिका 4 एवं 9 भाग 1 से संदर्भित)

1. लेखापाल रोकड़बही
2. होल्डिंग रसीद
3. मनी रसीद
4. सहायक रोकड़बही
5. स्टोक रजिस्टर- एच,एम एवं स्थायी सामग्री
6. अग्रीम रजिस्टर
7. योजना पंजी
8. योजना संचिका- आंषिक
9. सामानों के क्रय से संबंधित संचिका
10. अभिश्रव- आंषिक
11. सेवा पुस्त
12. संचार (मोबाईल) टावरों से संबंधित संचिका एवं विवरणी
13. आई0एच0एस0डी0पी0 संचिका

9/11/15
12/11/15
लं. लं. प. लं.

123
1191

परिशिष्ट-2

नगर परिषद मोतिहारी

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखो / पंजियों की सुचि

(प्रतिवेदन की कंडिका 4 एवं 1 भाग 1 से संदर्भित)

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से संबधित संचिका
2. मांग एवं वसूली पंजी
3. रोकड़पाल रोकड़बही एवं संबधित बैक पासबुक
4. बन्दोबस्ती से संबधित संचिका
5. वाद पंजी
6. सम्पति पंजी
7. लॉग बुक
8. वेतन पंजी
9. अनुदान पंजी
10. चेक निर्गत पंजी
11. वार्षिक लेखा
12. दुकान से संबधित पंजी,रजिस्टर एवं एकरारनामा से संबधित संचिकाएं
13. उपयोगिता प्रमाण पत्र
14. दैनिक मजदुरो के भुगतान से संबधित पंजी
15. सैरातो से संबधित रजिस्टर एवं संचिकाएं
16. बजट संचिका
17. वे सभी अभिलेख जिनका उल्लेख परिशिष्ट-1 में नहीं किया गया है।

वत्सल
19/10/15
उ.प्र.प.का

वेरिफिकेशन - III

वेरिफिकेशन - IV, वेरिफिकेशन - II, वेरिफिकेशन - I

(25)

1990

| क्र.सं. | कार्यवर्ष/दिनांक | मातृकाल | वित्तिय निकाय | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) | वित्तिय निकाय (वेरिफिकेशन) |
|-------------------------------------|------------------|---------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2/2013-14 | 546/22 | 4.13 | 9,86,200 | उ मास | 7,07,961 | 2,78,239 | 18.08.14 | 39.2% | 196 | 98,620 | 27,824 | 17,341 | 81,279 | 18.08.14 को समय विवरण के रकमीकरण के लिए विवरण। |
| 2 | 9/2013-14 | 615/18 | 5.13 | 9,68,900 | " | 9,68,897 | 379,026 | अथवा 10.1.14 को | 19 | 83,259 | 69,382 | 13,877 | 13,877 | समय विवरण अनुसार वेरिफिकेशन। | |
| 3 | 15/13-14 | 598/7 | 5.13 | 9,46,200 | उ मास | 365,677 | 5,80,523 | 22.08.13 | 7.5 | 43,539 | 58,052 | -14,513 | -14,513 | समय विवरण अनुसार वेरिफिकेशन। | |
| 4 | 1/2014-15 | 1303/51 | 7.14 | 41,75,875 | उ मास | 39,04,131 | 2,71,744 | 17.02.15 | 39.5 | 2,25,418 | 1,24,775 | 80,643 | 81,659 | समय विवरण अनुसार वेरिफिकेशन। | |
| <p>अथवा वेरिफिकेशन (वेरिफिकेशन)</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

अथवा

19/10/15

U. S. Sharma

BRD
 दिपरी-IV
 20/05-1/30/4

अडिका सं. 5
 नाला नं. 79
 कार्यालय नगर परिषद मोतिहारी

वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० योजना में कीये गये कार्यों का विवरणी ।

| क्र० सं० | योजना सं० | योजना का नाम | प्राककलित राशि | एकरारनामा की तिथि | वास्तविक कार्य पूर्ण करने की तिथि | कुल भुगतये राशि | अभ्युक्ति |
|----------|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 1 | वार्ड नं०- 1 में श्री विद्वानाथ जी के घर से श्री गोविन्द प्रसाद के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य । | 234900.00 | 22.02.14 | 27.04.14 | 232850.00 | |
| 2 | 2 | वार्ड नं०- 3 में श्री विनोद जी के घर के पास से नहर तक नाला निर्माण कार्य । | 181600.00 | 22.02.14 | 26.03.14 | 181600.00 | |
| 3 | 3 | वार्ड नं०- 4 में मो० ए० मजीद के घर से मो० मनौवर साहब के घर तक नाला जीर्णोद्धार एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य । | 235000.00 | 22.02.14 | 20.04.14 | 234559.00 | |
| 4 | 4 | वार्ड नं०- 6 में मो० अनवर सिद्धिकी के घर से श्री रवि कुमार गुला के घर तक एवं श्री राकेश कुमार के घर से श्री प्रभु जी के घर तक नाला निर्माण कार्य । | 244800.00 | 21.02.14 | | | |
| 5 | 5 | वार्ड नं०- 7 में श्री गौरी पटेल के घर से मो० गुड्डू जी के घर तक नाला निर्माण कार्य । | 182500.00 | 22.02.14 | 18.03.14 | 182125.00 | |
| 6 | 6 | वार्ड नं०- 8 में श्री चितरंजन मुखर्जी के घर से श्री अजय खेमका के घर होते हुए ज्ञानबाबू चौक तक नाला निर्माण कार्य एवं श्री धुमन साह के घर के पास ध्वस्त पुलिया का निर्माण कार्य । | 181600.00 | 21.02.14 | 28.04.14 | 181600.00 | |
| 7 | 7 | वार्ड नं०- 9 में श्री नारायण अग्रवाल के पिछे (मार्केट) में नाला का जीर्णोद्धार कार्य एवं आर०सी०सी० स्लैब का निर्माण कार्य । | 196700.00 | 22.02.14 | 28.04.14 | 196322.00 | |
| 8 | 8 | वार्ड नं०- 12 में श्री सिताराम जी के घर से श्री सिकिल प्रसाद के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य । | 239000.00 | 22.02.14 | 24.03.14 | 239000.00 | |
| 9 | 9 | वार्ड नं०- 13 में श्री पवन जी के घर से श्री महेश कुमार के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य । | 179100.00 | 22.02.14 | 18.05.14 | 179100.00 | |
| 10 | 10 | वार्ड नं०- 14 में बैंक रोड में श्री विश्वनाथ जी के घर की ओर जाने वाली पथ में नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य । | 180400.00 | 22.02.14 | 01.09.14 | 180400.00 | |
| 11 | 11 | वार्ड नं०- 15 में श्री चमचम मिश्रा (वार्ड अध्यक्ष, भाजपा) के घर से श्री सुरेंद्र मिश्रा के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य । | 244900.00 | 21.02.14 | 22.05.14 | 244900.00 | |

अमल
 19/10/15

189
 21

| | | | | | | | |
|----|----|--|-----------|----------|----------|-----------|--|
| 12 | 12 | वार्ड नं- 16 में श्री अजय कुमार के घर से श्री रघामबहादुर श्रीवास्तव के घर होते हुए श्री अमर्य कुमार मिश्रा के घर तक नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 179100.00 | 22.02.14 | 03.04.14 | 179100.00 | |
| 13 | 13 | वार्ड नं- 17 में श्री कंचन हजरा के घर से श्री अर्जुन पासवान के घर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 241200.00 | 23.01.14 | 30.02.14 | 241200.00 | |
| 14 | 14 | वार्ड नं- 18 में श्री रामपुकार सिंह के घर से अमृत मध्य विद्यालय तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 401900.00 | 21.02.14 | 27.08.14 | 409099.00 | |
| 15 | 15 | वार्ड नं- 19 में गली नं- 3 एवं गली नं- 4 के बीच के पथ में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 180000.00 | 22.02.14 | 18.03.14 | 180000.00 | |
| 16 | 16 | वार्ड नं- 20 में श्री यमुना प्रसाद के घर से मुख्य नाला तक नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 247600.00 | 22.02.14 | 19.05.14 | 114902.00 | |
| 17 | 17 | वार्ड नं- 21 में श्री संजय सिंह के घर से श्री अजीत पाठक के घर तक नाला निर्माण कार्य । | 181600.00 | 23.01.14 | 22.05.14 | 181600.00 | |
| 18 | 18 | वार्ड नं- 22 में श्री गुड्डू श्रीवास्तव के घर से श्री अरूण गुला के घर तक नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 235000.00 | 21.01.14 | 05.04.14 | 235000.00 | |
| 19 | 19 | वार्ड नं- 23 में शिक्षक संघ भवन से प्रो0 सविदानन्द सिंह के घर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 180100.00 | 22.02.14 | | | |
| 20 | 20 | वार्ड नं- 24 में मुख्य नाला सं इन्डियन भरत बाबू के मकान तक नाला निर्माण कार्य । | 239700.00 | 23.01.14 | 20.05.14 | 239687.00 | |
| 21 | 21 | वार्ड नं- 25 में श्री राधा सिंह के घर से श्री जगरनाथ यादव के घर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य । | 245100.00 | 22.02.14 | 04.04.14 | 245016.00 | |
| 22 | 22 | वार्ड नं- 26 में श्री गोपाल साह के मिल से श्री नारायण शर्मा के घर होते हुए मुख्य नाला तक नाला निर्माण कार्य । | 188200.00 | 22.02.14 | 05.01.15 | 188195.00 | |
| 23 | 23 | वार्ड नं- 27 में श्री नरू जी के घर से मो0 अब्दुल खैर के घर तक नाला निर्माण कार्य । | 207500.00 | 22.02.14 | 13.03.14 | 207491.00 | |
| 24 | 24 | वार्ड नं- 28 में श्री अनिल सिंह के घर के पिछे से मस्जिद तक नाला एवं ईटीकरण का कार्य । | 305000.00 | 21.02.14 | 15.04.14 | 152921.00 | |
| 25 | 25 | बैतिसराय एण्टा0एम0 हॉस्टल से दुर्गा मन्दिर तक चाहरदिवारी का निर्माण कार्य । | 484500.00 | 02.02.14 | 20.06.14 | 484465.00 | |
| 26 | 26 | वार्ड नं- 30 में प्रो0 विणा शर्मा के घर तक एवं श्री रघामा सिंह के घर तक नाला मरम्मत एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य । | 304900.00 | 21.02.14 | 15.04.14 | 304895.00 | |

185
100

बनलिन
19/01/15

| | | | | | | |
|----|----|--|------------|----------|----------|------------|
| 27 | 27 | वार्ड नं०- 31 में श्री दिपककाश श्रीवास्तव के घर से श्री मुन्ना जी के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य । | 324400.00 | 21.02.14 | 05.04.14 | 324379.00 |
| 28 | 28 | वार्ड नं०- 32 में श्री खितेदर सिंह के घर श्री राकेश मिश्रा के घर तक नाला निर्माण कार्य । | 180000.00 | 21.02.14 | 30.08.14 | 179954.00 |
| 29 | 29 | वार्ड नं०- 33 में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद के घर से श्री प्रेमनाथ जी एवं अरूण जी के घर तक नाला निर्माण कार्य । | 210100.00 | 24.02.14 | 13.03.14 | 210075.00 |
| 30 | 30 | वार्ड नं०- 34 में मलाह टोली स्थित श्री सामरण सहनी के घर के पास एवं श्री सुरेश प्रसाद के घर के सामने शौचालय एवं चापाकल का निर्माण कार्य । | 215200.00 | 23.01.14 | 02.05.14 | 215200.00 |
| 31 | 31 | वार्ड नं०- 35 में बैलखाना में चार सीट शौचालय एवं चापाकल का अधिष्ठापन कार्य । | 240700.00 | 21.02.14 | 15.04.14 | 240679.00 |
| 32 | 32 | वार्ड नं०- 36 में श्री प्रभूशरण प्रसाद के घर से श्री प्रेम शंकर सिंह के घर तक नाला उन्नयन का कार्य । | 248000.00 | 22.02.14 | 13.03.14 | 247990.00 |
| 33 | 33 | वार्ड नं०- 37 में श्री देवेन्द्र सिंह के घर से श्री विखनाथ प्रसाद के घर तक एवं श्री कन्हैया जी (वकील) के पास नाला एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य । | 245600.00 | 22.02.14 | 22.03.14 | 245592.00 |
| 34 | 34 | वार्ड नं०- 38 में श्री चन्द्रिका जी के घर से पी०डब्ल्यू०डी० पथ तक नाला एवं इंटीकरण पथ का सम्पत्ति कार्य । | 306900.00 | 22.02.14 | 14.03.14 | 245592.00 |
| | | | 8092800.00 | | | 7325488.00 |

19/10/15
 श्री. अ. प. म.

1187/19